कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड रामगंजमण्डी, (जिला कोटा)

क्रमांक : 121 दिनांक: 13/6/2023

श्रीमान उपवन संरक्षक
कोटा

विषय :– Construction of road under PMGSY Salawadkhurd to Barodiya Antari

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक एफ( )वउस/तक/2022–23/3528 दिनांक 04.05.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक को लिखते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त आलोच्य प्रस्ताव में भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवाऊ परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली पत्रांक 8बी/राज./06/33/2008/एफ.सी./819 दिनांक 18.09.2015 के अनुसरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक 162 दिनांक 11.05.2009 की पालना नही होने में 5 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 की मांगदर्शिका के पेरा 4.2(I) एवं (II) के तहत उक्त प्रस्ताव को बन्द/निरस्त कर दिया गया था। जिसकी नवीन ऑनलाईन प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आपके विभाग में प्रस्तुत किया था। इसमें आपके द्वारा फोरेस्ट कन्र्जवेशन एक्ट 1980 के दण्ड प्रावधान 1.21 का III (बी) के अनुसार अन्तर राशि रू. 683257/– जमा करवाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः उक्त राशि ऑन लाईन जमा कराने हेतु संबंधित खाता संख्या, बैंक का नाम, आई.एफ.एस.सी. कोड, इत्यादि उपलब्ध कराने का श्रम करें ताकि अतिशिघ्र राशि जमा करवायी जा सके।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी
दिनांक:

क्रमांक :

प्रतिलिपी श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत कोटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(आर.के.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0खण्ड रामगंजमण्डी

Scanned with CamScanner